

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जयपुर/एफ.24993/2024/259 दिनांक : 14/03/2024

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री भूदेव प्रसाद शर्मा, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, अलवर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.03.1996 है, को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 07.03.2014 से 9300-34800 व ग्रेड पे 3600 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जयपुर/एफ.24993/2024/259 दिनांक : 14/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, अलवर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री भूदेव प्रसाद शर्मा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6064714

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :14-03-2024 08:03:08